

जिलाधिकारी, बाराबंकी की अध्यक्षता में दिनांक 23.07.2019 को लोकसभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम मे अनुसार दिनांक 23.07.2019 को कलेक्ट्रेट के लोकसभागार में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत कार्यों की समीक्षा एवं योजनान्तर्गत गतिविधियों पर चर्चा हेतु बैठक प्रारम्भ हुयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, उपायुक्त (स्वतः रोजगार), समस्त जिला मिशन प्रबन्धक एवं थिमेटिक एक्सपर्ट, लेखा सहायक, एन0आर0एल0एम0, समस्त ब्लाक मिशन प्रबन्धक, पी0आर0पी0 लाइवलीहुड उपस्थिति रहे। बैठक में एन0आर0एल0एम0 की समस्त थीम की प्रगति समीक्षा निम्नानुसार की गयी एवं उपस्थित प्रोफेशनल्स को निम्नलिखित निर्देश दिये गये-

**1- समूह गठन-**

- समस्त विकास खण्डों में समूह गठन की संख्या बढ़ाने हेतु आईसीआरपी ड्राइव चलायी जाये।
- विकास खण्ड बनीकोडर में वित्तीय वर्ष 2019-20 में समूह गठन की धीमी प्रगति पर रोष व्यक्त किया गया तथा सम्बन्धित को अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-डी0एम0एम0, एसएमसीबी, ए0डी0ओ0 आईएसबी/महिला, समस्त बी0एम0एम0)

**2- रिवाल्विंग फण्ड**

- समीक्षा में पाया गया कि नेशनल एम0आई0एस0 पर अंकित आंकड़ों के अनुसार 3 माह एवं उससे अधिक पुराने 593 पात्र समूहों को रिवाल्विंग फण्ड अभी तक निर्गत नहीं किया गया है। ऐसे पात्र एवं परिपक्व समूहों को चिन्हित कर तत्काल रिवाल्विंग फण्ड दिये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही-डी0एम0एम0, एमएफएफआई, ए0डी0ओ0 आईएसबी/महिला, समस्त बी0एम0एम0)

**3- स्टार्ट अप फण्ड**

- समूह गठन होने एवं समूह का बचत खाता खुलने के उपरान्त समूहों को तत्काल स्टार्ट अप फण्ड दिये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही-डी0एम0एम0, एमएफएफआई, ए0डी0ओ0 आईएसबी/महिला, समस्त बी0एम0एम0)

**4- सी0आई0एफ0**

- नेशनल एम0आई0एस0 पर अंकित आंकड़ों के अनुसार 6 माह एवं उससे अधिक पुराने 1940 पात्र समूहों को सामुदायिक निवेश निधि (सी0आई0एफ0) अभी तक निर्गत नहीं किया गया है। सी0आई0एफ0 हेतु पात्र एवं परिपक्व समस्त समूहों को चिन्हित कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराई जाये।

(कार्यवाही-डी0एम0एम0, एमएफएफआई, ए0डी0ओ0 आईएसबी/महिला, समस्त बी0एम0एम0)

**5- सी0सी0एल0**

- सी0सी0एल0 हेतु लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत बैंकों को पत्रावली प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-डी0एम0एम0, एमएफएफआई, ए0डी0ओ0 आईएसबी/महिला, समस्त बी0एम0एम0)

**6- लाइवलीहुड**

एम0के0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत आजीविका सम्बन्धी गतिविधियों फार्म मशीनरी बैंक, हैण्डलूम, पोषण वाटिका, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, बैकयार्ड पोल्ट्री, आदि पर चर्चा कर जानकारी ली गयी एवं निम्न निर्देश दिये गये-

- पोषण वाटिका की प्रगति बढ़ायी जाये।
- फार्म मशीनरी हेतु पात्र ग्राम संगठनों का चयन किया जाये।
- एम0के0एस0पी0 के अन्तर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु आर्गेनिक इण्डिया से पंजीकृत कराया जाये।
- एस0आर0आई0 विधि को बढ़ावा दिया जाये।
- एम0के0एस0पी0 के अन्तर्गत जैविक उत्पादों की बिक्री हेतु मण्डी स्थल में समुचित स्थान दिलाये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाये।

(कार्यवाही-डी0एम0एम0, लाइवलीहुड, समस्त बी0एम0एम0, यंग प्रोफेशनल्स, एवं पी0आर0पी0 )

## योजना में व्यय के सम्बन्ध में

एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत जनपद को आवंटित बजट को अधिक से अधिक योजना हित में व्यय कर योजना की प्रगति बढ़ाने हेतु सम्बन्धित को निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-समस्त डी0एम0एम0, लेखाकार, लेखा सहायक )

### 8- कन्वर्जेन्स अन्तर्गत समूहों द्वारा गो आश्रय स्थल की देखरेख

- समस्त विकास खण्डों की विभिन्न ग्राम पंचायतों में गोवंश आश्रय स्थल में पशुओं की देखरेख हेतु समूह की महिलाओं को प्रेरित करने के निर्देश दिये गये।
- समस्त ब्लाक मिशन प्रबन्धक को गो आश्रय स्थल की देख रेख समूहों के माध्यम से कराये जाने हेतु स्थायी आर्थिक मॉडल प्लान तैयार करके 15 दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये जिससे आश्रय स्थल के पशु स्वस्थ रहे एवं समूह की महिलाओं को आर्थिक लाभ भी पहुँचाया जा सके।
- सभी विकास खण्डों के बी0एम0एम0 को निर्देश दिये गये कि उन ग्राम पंचायतों को चिन्हित करें, जिनके आश्रय स्थल में पशुओं की संख्या अधिक है एवं उनका भ्रमण कर 15 दिवस के भीतर विकास खण्डवार स्थायी आर्थिक मॉडल प्लान तैयार कर प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही- ए0डी0ओ0 (आईएसबी/महिला), समस्त डी0एम0एम0, समस्त बीएमएम )

### 9- समस्त नवचयनित मिशन स्टाफ की उपस्थिति व मॉनीटरिंग के सम्बन्ध

- सभी विकास खण्ड में पदस्थापित नवचयनित मिशन स्टाफ की उपस्थिति एवं मॉनीटरिंग हेतु विकास खण्ड स्तर पर उपस्थिति रजिस्टर बनाये जायें एवं खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा मासिक उपस्थिति नियमित रूप से प्रमाणित कर प्रत्येक माह मुख्यालय को प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही-समस्त खण्ड विकास अधिकारी/समस्त ए0डी0ओ0 (आईएसबी/महिला) )

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत आगामी बैठकों में सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0/महिला), अग्रणी जिला प्रबन्धक, बैंक ऑफ इण्डिया, बाराबंकी एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, ग्रामीण बैंक, बाराबंकी को आवश्यक रूप से प्रतिभाग कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही योजनान्तर्गत दिये जाने वाले समस्त फण्ड (आर0एफ0, सी0आई0एफ0, स्टार्ट अप) हेतु पात्र एवं परिपक्व समूहों की विकास खण्डवार सूची तैयार कर खण्ड विकास अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने के भी निर्देश दिये गये।

परस्पर विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मत से बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

*D. Singh*  
(*डॉ. अदर्श सिंह*)  
जिलाधिकारी  
बाराबंकी।

### कार्यालय जिला मिशन प्रबन्धन इकाई, बाराबंकी।

पत्रांक 380 / एन0आर0एल0एम0 / समीक्षा बैठक / 2019-20 दिनांक 30-7-19  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
3. उपायुक्त (स्वतः रोजगार) बाराबंकी।
4. अग्रणी जिला प्रबन्धक, बैंक ऑफ इण्डिया, बाराबंकी।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, बाराबंकी।
6. समस्त सहायक विकास अधिकारी, (आईएसबी/महिला), बाराबंकी।
7. समस्त जिला मिशन प्रबन्धक, एनआरएलएम, बाराबंकी।
8. लेखाकार/लेखा सहायक, एन0आर0एल0एम0, बाराबंकी।
9. समस्त ब्लाक मिशन प्रबन्धक, एनआरएलएम, बाराबंकी।
10. पी0आर0पी0 लाइवलीहुड, विकास खण्ड सूरतगंज

11. *DISO, Barabanki*

जिलाधिकारी  
बाराबंकी